

कार्यालय: उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

संख्या: 445 / उपाध्यक्ष / 2008

दिनांक: अगस्त 13 ,2008

आदेश

मानचित्र स्वीकृति के सरलीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से श्री ओ०पी० नारायण, अवर अभियन्ता को जोन से स्थानान्तरित करते हुये स्पीड प्वाइंट पटल पर तैनात किया जाता है। उक्त पटल के प्रभारी श्री प्रदीप कुमार सिंघल, सहायक अभियन्ता होंगे। उक्त पटल पर प्राधिकरण की योजनाओं के 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय मानचित्र काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविदों अथवा प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त रेखाकार/अभियन्ता द्वारा मय शुल्कों सहित जमा किया जायेगा। शुल्कों की गणना, भू-उपयोग एवं नियोजन संबंधी जाँच अवर अभियन्ता श्री ओ०पी० नारायण द्वारा की जायेगी तथा शुल्क जमा होने के उपरान्त उपर्युक्तानुसार दाखिल मानचित्र की एक प्रति पर "डीमड सैंक्शन" की मुहर लगाकर प्रभारी अधिकारी-स्पीड प्वाइंट के हस्ताक्षर से उसी समय आवंटी/वास्तुविद को उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रभारी अधिकारी-स्पीड प्वाइंट श्री सिंघल का यह दायित्व होगा कि स्पीड प्वाइन्ट पटल में जमा होने वाले उपर्युक्त श्रेणी के मानचित्रों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक माह में जमा होने वाले ऐसे मानचित्रों की सूची अधोहस्ताक्षरी को तथा नगर नियोजक को उपलब्ध करायी जाएगी तथा एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। सूची की एक प्रति प्रवर्तन विभाग को भी प्रेषित की जायेगी। उक्त कक्ष प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक खुला रहेगा।

मानचित्र पर डीमड सैंक्शन की मुहर लगाते समय यह प्रतिबंध भी अंकित करना होगा कि पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा निर्माण करने से पूर्व आवंटी/वास्तुविद द्वारा प्राधिकरण में लिखित सूचना उपलब्ध करानी होगी। शेष श्रेणी के मानचित्रों के संबंध में पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

(Signature)

(कनक त्रिपाठी)

उपाध्यक्ष